

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 470/2025

हरपिन्दर कौर पत्नी स्व.हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

बनाम

- 1 हरबंश कौर पत्नी स्व. श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 2 रजनदीप कौर पुत्री स्व. श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 3 देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 4 गुरअर्पण कौर पुत्री स्व. श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) जरिये मुखत्यारेआम देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री गगन मिढा वकील प्रतिवादी संख्या 1. ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 14 बी.जी.पी. के विवादित खाता सं. 66/58 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में दर्ज कुल 10.068 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 को 6.895 है. कृषि भूमि का व प्रतिवादी सं. 4 को 3.173 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार शुद्धि करने एवं इसी प्रकार चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. के एकल खाता 118/24 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी के स्व. ससुर सुखदेव सिंह पुत्र श्री राम सिंह के नाम से 4.427 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर सुखदेव सिंह पुत्र श्री राम सिंह का नाम कलमजन किये जाने तथा चक 12 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 157/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के स्व. पति हरदीप सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह के नाम से 6.831 है कृषि भूमि में से वादीया को 5.060 है. कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 4 को 1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर हरदीप सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.12.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया